न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 107/11

1. रामकिशन उर्फ किशन लाल आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी कनवास मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गिरिराज आत्मज श्री रामकिशन ।
   1/2. बृजबिहारी आत्मज श्री रामकिशन ।
   1/3. श्याम बिहारी आत्मज श्री रामकिशन ।
   1/4. मंजू बाई पुत्री श्री रामकिशन ।
   1/5. शान्ति बाई बेवा श्री रामकिशन ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. किशन लाल आत्मज श्री मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी कनवास मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. धनवन्ती पुत्री किशन लाल पत्नी श्री मुकुट बिहारी जाति ब्राह्मण निवासी ए.एस. आई. मजदूर कॉलोनी खेराबाद रामगंजमण्डी ।
   1/2. शेलू उर्फ पवन कुमार आत्मज श्री ओम प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मस्जिद के पास कनवास जिला कोटा ।
   1/3. अंकिता पुत्री ओम प्रकाश ।
   1/4. संतोष बेवा ओम प्रकाश ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 20.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कनवास में वादी एवं उसके भ्राता बुद्धि प्रकाश व नन्दकंवर के सम्मिलित खाते एवं कब्जे में आराजी खसरा नम्बर 2128/2217 की 03 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि मोटर स्टेण्ड से लगी हुई है इसलिए प्रतिवादी उसमें से कुछ भूमि जो सडक से लगी हुई है में

जबरन कब्जा कर दुकान का निर्माण कराना चाहता है । यदि प्रतिवादी अपने कृत्य में सफल हो गया हो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी एंव उसके भ्राता व माता के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि में न स्वयं किसी प्रकार का कब्जा करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । यदि दौराने बाद प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के किसी भाग पर निर्माण कार्य करा लेना पाया जावे तो उसको तुडवाया जाकर भूमि पर वादी को पुनः कब्जा संभलाया जावे ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.11.2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादी ने माननीय न्यायालय में दिनांक 26.12.1984 को वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2128/2217 पर प्रतिवादी के मदाखलत व मजाहमत करने से रोकने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाहने व दौराने वाद निर्माण किये जाने पर उसे तुडवा कर कब्जा दिलाने के लिए वाद पेश किया था । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को दिनांक 24.07.1960 को ग्राम पंचायत कनवास द्वारा जारी 20X16 वर्गफुट भूखण्ड पर पट्टे के आधार पर मालिकाना हक व कब्जा है । वादी उक्त भूमि को अपनी बताकर उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में लेकर आया है । वादग्रस्त आराजी पर वादी व अन्य लोगों द्वारा कब्जे करने की धमकी देने पर स्व0 किशनलाल ने सिविल न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.09.1996 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी ने पुनः राजस्व न्यायालय में वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विचारण किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे ।

6. अप्रार्थी वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2011 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2011 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश का निर्णय दिनांक 09.09.1996 के विरूद्ध अपील जिला न्यायाधीश कोटा के यहॉ पेश की गई थी जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में सिविल न्यायाधीश (क0ख0) का निर्णय अंतिम नहीं है तथा जब पूर्व का निर्णय अंतिम नहीं हो ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय के आधार पर रेसजूडीकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित

की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । न्यायालय सिविल न्यायाधीश का निर्णय दिनांक 09.09. 19996 के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश कोटा के यहॉ पेश की गई थी जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं है । इस कारण प्रकरण में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । पत्रावली अंतिम बहस में लम्बित थी ऐसी स्थिति में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था । रेसजूडीकेटा के आधार पर तनकी कायम कर उसका निर्णय किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है जिसके बारे में कोई निर्णय पारित करने का सिविल न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की प्लीडिंग व तनकी के बाहर निर्णय दिया है जबकि न्यायालय को प्लीडिंग के बार निर्णय देने का अधिकार नहीं है । प्रतिवादी यदि रेसजूडीकेटा के आधार पर डिफेन्स लेना चाहता है तो उसे अपने जवाबदावे में संशोधन करवाकर तनकी कायम करवा कर ही तनकी अनुसार निर्णय दिया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली कायममुकामान की तलबी में लम्बित थी और इसमें धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के द्वारा पेश किया गया जिसको स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा रेसजूडीकेटा से बाधित मानते हुए खारिज किया है । प्रकरण में दिनांक 08.10.1985 को तनकीयात कायम की जा चुकी थीं । दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं, तनकी कायम कर निर्णित किया जा सकता है । अपीलान्ट ने अपने खाते में दर्ज कृषि भूमि के सम्बन्ध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट ने यह कथन किया है कि उनको ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा जारी किया गया है । पट्टे की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । उक्त पट्टे में कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है । अपीलान्ट के खाते की भूमि पर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में यह जॉच किया जाना भी आवश्यक है कि पट्टा अपीलान्ट के खाते की कृषि भूमि में जारी किया गया है अथवा अन्य किसी भूमि में जारी किया गया है । इन तथ्यों की जॉच के उपरान्त ही प्रकरण में कोई विधिक निर्णय पारित किया जा सकता है।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2011 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा नम्बर 11 में किये गये विवेचन के अनुसार जॉच कर, रेसजूडीकेटा के बाबत् भी एक अतिरिक्त तनकी कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा